

क्रमांक 3317002 / छ.ग. / 2017 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक / 01 / 2017

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर

विषय :- शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश पृष्ठा. क्रमांक एफ 01-11/31/स्था/2016 दिनांक 27.12.2016.

—00—

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया संबंधित श्री पी.के. साहू, सहायक अभियंता को प्रति सौंपकर, पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृष्ठा. क्रमांक 3317002 / छ.ग. / 2017 / 1643
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 04 / 01 / 2017

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश के परिप्रेक्ष्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल, दुर्ग।
3. कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग।
4. अनुविभागीय अधिकारी, खरखरा मोहदीपाट नहर परि. उपसंभाग क्र.-3, राजनांदगांव।
5. संबंधित श्री पी.के. साहू, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सरल क्रमांक (3) कार्यपालन अभियंता को सौंपने बाबत।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र 2 से 6)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

211

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

Pub I

①

रायपुर, दिनांक

क्रमांक, एफ 01-11/31/स्था./2016 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.07.2016 द्वारा श्री पी.के.साहू, सहायक अभियंता, तांदुला जल संसाधन उप संभाग क्र.-3, दुर्ग, से अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, कोन्टा स्थानांतरण किया गया है।

2/ विभागीय स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.07.2016 के विरुद्ध श्री पी.के.साहू, सहायक अभियंता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. एस. 5029/2016 दायर किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-1/2014/1-3, दिनांक 03.06.2015 के अनुसार 55 वर्ष से अधिक आयु के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को यथासंभव दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापना से मुक्त रखा जाये। निर्णय देते हुए प्रकरण तीन सप्ताह में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

3/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 के परिपालन में श्री पी.के.साहू, सहायक अभियंता द्वारा शासन के स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.07.2016 में संशोधन करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

4/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 5029/2016 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 के परिपालन में श्री पी.के.साहू, सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर समग्र विचारोपरांत विभागीय आदेश दिनांक 13.07.2016 के सरल क्रमांक-07 को संशोधित करते हुए तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, अनुविभागीय अधिकारी, खरखरा मोंहदीपाट नहर परियोजना उपसंभाग क्र.-3, राजनांदगांव पदस्थ करता है।

6/ सामान्य प्रशासन विभाग के जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2016-17 की कण्डिका-4(4.5) के तहत प्रकरण में माननीय मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

(अनिल कुमार शर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पू.क्रमांक एफ 01-11/31/स्था./2016,
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 27-12-2016

1. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर। कृपया माननीय उच्च न्यायालय को उनके निर्णय दिनांक 22.09.2016 के संदर्भ में अवगत कराने हेतु अनुरोध है।
2. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
3. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
5. मुख्य अभियंता,
6. नोडल अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनीमाता, हसदेव बांगो परियोजना, बिलासपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोन्टा/राजनांदगांव/दुर्ग।
8. श्री पी.के.साहू, सहायक अभियंता, तांदुला जल संसाधन उप संभाग क्र.-3, दुर्ग।

कार्यालय बुमुख आदेशिफोल्डर।

जल संसाधन विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

रायपुर (क.स.)

331

27 DEC 2016

SE (A)

Order-376 -

"जल ही जीवन है" PLEASE SAVE WATER & SAVE LIFE

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

27/12/16
San P. Narayan